

सेवा में, अचल अधिकारी
चाकुलिया

द्वारा :- अचल निरीक्षक
चाकुलिया

विषय :- सीमांकन वाद सं० - 20/2022-23 के
प्रतिवेदन के संबंध में

प्रसंग :- भूकीर्ण द्वारा दिये गये निवेदन।

महोदय,
अद्वैतानुसार, उपरोक्त विषयक संबंधित
मौजा- धाधिका ग्रामा नं० - 444, खाला नं० - 25, खेसव
नं० - 116 का रकबा 0.05 ए० गुंठे का आवेदन परमेश्वर
पाल के सीमांकन आवेदन पर अचल कार्यालय सीमांकन
वाद सं० - 20/2022-23 के आलेख के निर्धारित तिथि
दिनांक - 23/12/2022 के आवेदित रूखल पट्टेय पर
आवेदन तथा चौदहीदा से लेटे किया तथा आवेदित
भूमि का अंगजात मांगा गया उन्हां खाल सन् 1960
ई० की फाइनल खेसियात का कपी दिखाया तथा खाल
का अंदा इका लगान दिखाया उक्त अंगजात अकीलक
किया तथा खाल सन् 1960-61 ई० की फाइनल नक्सा
का धरापति नक्सा के साथ उपरिचयत आवेदन,
चौदहीदा तथा ग्रामियों की उपरिचयत में सारजनिक
मिलान करत हुए खेसव नं० - 116 का रकबा 0.05 ए०
भूमि का चौदही नापी करके सीमा पर पल्लर गाड़ी
करवा दिया गया तथा उपरिचयत सगि के दिखा दिया
गया।

सीमांकन शान्ति पुष्प समाप्त हुआ सीमांकन
अवधि के किसी आय किसी प्रकार बाबा
या कापति नहीं किया। सीमांकन के आवेदन आय
खैसथ नं-107 का 1 से 4 तक तथा लम्बाई के 20' तक उत्तर
दिशा के काव्या मकान लकी परिसर का अंच आ 2 ए है।
उपरिचर लागू करे दिव्या दिया गया।
इस प्रतिवेदन के साथ एक प्रति इस नमूना तथा
सीमांकन उपरिचर लिखा गया पंचनाम संलग्न किया
गया।

प्रतिवेदन कार्यालय के लाकर समीक्षित।

कापका विवासुभाषन
डॉ० अमीन
— चतुर्वेद गहरी
24/12/2012